I/277616/2023

संख्याः 104/53–1–2023

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 20 फरवरी,2023

विषयः–उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–77/दुग्ध–9/नीति–2022/दिशा–निर्देश/2022–23, दिनांक–20 जनवरी, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय अनुदान एवं रियायतों से सम्बन्धित प्राविधानों के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश जारी किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2–इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक–20.01.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर शासन की अधिसूचना संख्या–03/2022/1050/53–1099(099)/26/2022, दिनांक–17 अक्टूबर, 2022 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय अनुदान एवं रियायतों से सम्बन्धित प्राविधानों के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत हैं :–

1– नीति की अवधि

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022,अधिसूचना संख्या–03/2022/1050/53–1099(099)/26/2022, दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 की तिथि से पॉच वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

2–प्रस्तावों की पात्रता

उ0प्र0 दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 की प्रभावी अवधि में स्थापित होने वाली इकाईयॉ इस नीति के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान,रियायतें व सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन हेतु पात्र होंगी।

3– कार्य क्षेत्र

''उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022'' सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

4– पात्र संस्थाएँ

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत दुग्ध उद्योगों की स्थापना के लिये निम्न संस्थाएं पात्र होंगी :–

(i) फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (Farmer Producers Organization)।
(ii) मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनियॉ (Milk Producers Companies)।
(iii) प्रदेश की सहकारी संस्थाएँ(Co-operative Institutions of the State)।
(iv) निजी क्षेत्र के उद्यमी (Enterprenurs of private sector)।

5–पात्र सेक्टर

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत विभिन्न एफ0पी0ओ0 (Farmer Producer's Organization), एम0पी0सी0 (Milk Producer's Companies),प्रदेश की सहकारी संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा निम्न क्षेत्र में उद्योग की स्थापना कर नीति में प्राविधानित वित्तीय अनुदान/रियायतें सम्बन्धी लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

(i) नवीन (Greenfield) दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई की स्थापना।

(ii) विद्यमान दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई (Brownfield) की क्षमता का विस्तार (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि)।

(iii) गौवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं हेतु नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई (Cattle Feed & Cattle Nutritional Products Manufacturing Unit) की स्थापना अथवा विद्यमान पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की क्षमता विस्तार (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि)।

(iv) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद जैसे चीज, आइसक्रीम इत्यादि का विनिर्माण करने वाली नवीन इकाई की स्थापना ।

(v) नवीन डेयरी तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी यथा ट्रेसेबिलिटी (Traceability) के उपकरणों एवं सहवर्ती साफ्टवेयर जैसे स्काडा (SCADA) सिस्टम की स्थापना ।

(vi) कोल्ड चेन की स्थापना हेतु दुग्ध अवशीतन केन्द्र (Milk Chilling Center) के उपकरण, बल्क मिल्क कूलर, रेफ्रिजरेटेड वैन/कूलिंग वैन/रोड मिल्क टैंकर, आइसक्रीम ट्रॉली इत्यादि का क्रय।

6– पात्र/अपात्र घटक

क0सं0	विवरण	पात्र घटक	अपात्र घटक
1	तकनीकी सिविल कार्य	उद्योगों में दुग्ध उत्पाद के दृष्टिगत दुग्ध प्रसंस्करण तथा पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निमार्णशाला इकाई से सम्बन्धित उत्पादन प्रयोजन के निमित्त समस्त तकनीकी सिविल कार्य।	सिविल कार्य से सम्बन्धित वे सभी कार्य जो उत्पादन या प्रसरंकरण से सम्बन्धित नहीं हैं,अपात्र घटक में शामिल किये जायेंगे, जिनका विवरण निम्नवत हैः– (1) चहारदीवारी। (2) सम्पर्क मार्ग। (3) प्रशासनिक कार्यालय भवन। (4) प्रसाधन कक्ष। (5) श्रमिक विश्राम गृह और श्रमिकों हेतु क्वाटर्स। (6) सफाई कक्ष। (7) सिक्योरिटी गार्ड कक्ष। (8) सभाकक्ष निर्माण। (9) निर्माण से सम्बन्धित परामर्श शुल्क।
2	मशीनरी	उद्योगों में दुग्ध उत्पाद के दृष्टिगत दुग्ध प्रसंस्करण तथा पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद की समस्त प्रक्रियाओं से सम्बन्धित उपकरण एवं मशीनरी पात्र घटक के अन्तर्गत आयेंगे। उदाहरणार्थ– <u>क–दुग्ध प्रसंस्करण से सम्बन्धित–</u> (1) आटोमेशन, मिक्सिंग, सेपरेशन, स्टैन्डर्डाइज़ेशन, शुगर ट्रीटमेंट, क्लीनिंग एण्ड सेनेटाइजेशन, मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस, क्लैरिफिकेशन, फोर्टीफॉइंग आदि। (2)पाश्चुराइजेशन, होमोजेनाईजेशन, इवैपोरेशन, ड्राइंग, स्टरलाइजेशन, कन्सन्ट्रेशन आदि। (3) कैनिंग, एसेप्टिक पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग, बाटलिंग, लेबेलिंग, फिलिंग तथा अन्य विशेष पैकेजिंग आदि। (4) फरमेन्टेशन तथा प्रसंस्करण हेतु अन्य विशेष सुविधायें आदि। (5) कन्ट्रोल्ड टेम्प्रेचर, ट्रान्सपोर्ट कूलर, रेफ्रिजरेटेड/इंसुलेटेड/वेन्टीलेटेड ट्रान्सपोर्ट।	प्लाण्ट एवं मशीनरी में निम्नलिखित को अपात्र घटक में शामिल किया जायेगाः– (1) ईंधन/तेल आदि उपभोग की वस्तुयें एवं भण्डार सामग्री। (2) कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण। (3) परिवहन वाहन। (4) उपयोग की गयी/पुरानी मशीनें/मरम्मत की हुई मशीनरी। (5) समस्त प्रकार के सेवा शुल्क और परिवहन शुल्क। (6) मशीनरी की पेंटिंग का व्यय। (7) क्लोज सर्किट टीवी कैमरा और सम्बन्धित उपकरण। (8) सम्बन्धित परामर्श शुल्क। (9) स्टेशनरी से सम्बन्धित सामग्री।

		(6)प्लांट के अन्दर अन्य समस्त प्रसंस्करण/परीक्षण/यातायात/भण्डार सुविधाएं जो कि मूल्य संवर्धन एवं शेल्फ लाईफ बढाने से सम्बन्धित हों, पात्र होंगे। ख–पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद से सम्बन्धित–पेलेट मिल, मिक्सर, शीरा भंडारण टैंक, बॉयलर, कन्वेयर सिस्टम, स्काडा आधारित स्वचालन, अनाज भंडारण साइलो आदि के साथ पशु आहार निर्माण से सम्बन्धित निर्माण संयंत्र आदि पात्र होंगे। ग– तकनीकी उन्नयन–तकनीकी उन्नयन जैसे स्काडा सिस्टम, न्यू जेनरेशन तकनीक की मशीनरी एवं सम्बन्धित उपकरण/संयंत्र पात्र होंगे। घ–ट्रेसबिलिटी एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल उपकरण–ट्रेसेबिलिटी एवं क्वालिटी कन्ट्रोल उपकरण जैसे ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट (कोल्ड चेन के अतिरिक्त) इत्यादि पात्र होंगे। ड.–कोल्ड चेन की स्थापना– रेफ्रीजरेटेड वैन/इन्सुलेटेड वैन/रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली इत्यादि से सम्बन्धित उपकरण/संयंत्र पात्र होंगे।	

7–प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग इकाईयों को अनुमन्य वित्तीय अनुदान, रियायतें एवं सुविधाएं निम्नवत् होंगीः–

7.1 पूंजीगत निवेश अनुदान

प्रदेश के समस्त जनपदों में दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों की स्थापना अथवा विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में ही) के लिये प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य एवं स्पेयर पार्ट्स की लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5.00 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

7.2 ब्याज उपादान

(क) नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई की स्थापना

नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई स्थापित किये जाने हेतु प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 10.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ख) नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की स्थापना

नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई स्थापित किये जाने हेतु प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 7.50 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ग) दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन

विद्यमान डेयरी प्लान्ट में तकनीकी उन्नयन जैसे स्काडा सिस्टम, न्यू जेनरेशन तकनीक की मशीनरी एवं उपकरण आदि की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.50 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(घ) दुग्धशाला के बाहर फील्ड में नवीन टेक्नोलॉजी

डेयरी प्लांट के बाहर फील्ड में ट्रेसेबिलिटी एवं क्वालिटी कन्ट्रोल उपकरण जैसे ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट (कोल्ड चेन के अतिरिक्त) हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 1.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ड.) कोल्ड चेन की स्थापना

रेफ्रीजरेटेड वैन/इन्सुलेटेड वैन/रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली इत्यादि कोल्ड चेन प्रणाली की स्थापना एवं क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 1.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(च) दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई के विस्तारीकरण पर ब्याज उपादान

मौजूदा क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.50 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(छ) पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई के विस्तारीकरण पर ब्याज उपादान

मौजूदा क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में प्लान्ट एवं मशीनरी पर लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ज) मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद बनाने वाली इकाईयों को ब्याज उपादान

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद जैसेः–चीज, आइसक्रीम आदि का विनिर्माण करने वाली इकाईयों को प्लान्ट मशीनरी की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

7.3–बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन प्राविधान

दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों को विपणन के लिए बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित अनुदान एवं रियायतें उपलब्ध करायी जायेंगी–

(i) राज्य में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु एयरपोर्ट/समुद्री पोर्ट तक उत्पाद परिवहन पर होने वाले वास्तविक व्यय का 25 प्रतिशत, जो रू0 20 लाख प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा तक 03 वर्षों तक प्रति लाभार्थी अनुदान देय होगा।

(ii) राज्य में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु जलयान/वायुयान से प्रेषण हेतु उत्पाद की एफ0ओ0बी0 (Freight on Board) मूल्य का 20 प्रतिशत, जो अधिकतम रू0 40 लाख प्रतिवर्ष की दर से 03 वर्षों तक अनुदान देय होगा।

(iii) प्रदेश में स्थापित दुग्ध प्रसंकरण इकाईयों को उनके द्वारा उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्‌देश्य से अन्य देशों में उत्पाद का नमूना (सैम्पल) प्रेषित करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत, जो अधिकतम रू0 5.00 लाख प्रति लाभार्थी अनुमन्य होगा। यह अनुदान एक इकाई को एक देश में एवं एक नमूना तक सीमित होगा।

7.4–मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधान

दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों, पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाईयों व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से सम्बन्धित मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पादों का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण कराने के उद्‌देश्य से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता/पर्यावरण प्रमाणीकरण एवं एक्रीडिटेशन जैसे आई0एस0ओ0–14001, आई0एस0ओ0–22000, एच0ए0सी0सी0पी0 तथा सेनेट्री/फाइटोसेनेट्री सर्टिफिकेशन आदि हेतु राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गयी फीस और टेस्टिंग चार्ज के सापेक्ष 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5.0 लाख अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी। मानकीकरण प्रोत्साहन नीति की अवधि में प्रमाणन/पंजीकरण के आधार पर दिया जाएगा।

7.5–पेटेण्ट/डिजाइन पंजीकरण प्राविधान

दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों, पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाईयों एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) से सम्बन्धित मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद निर्माण इकाईयों द्वारा पेटेन्ट/डिजाइन के पंजीकरण हेतु दुग्ध प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अधिकृत संगठनों/संस्थानों को भुगतान की गयी फीस का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5.0 लाख अनुदान प्रतिपूर्ति एक बार देय होगी। यह प्रोत्साहन नीति की अवधि में पेटेण्ट/डिजाइन पंजीकरण के आधार पर दिया जाएगा।

7.6–विद्युत शुल्क

नवीन दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों को 10 वर्ष की अवधि में भुगतान किये गये विद्युत अधिभार की प्रतिपूर्ति विद्युत विभाग द्वारा अनुमन्य धनराशि का ऑकलन उपलब्ध कराने के उपरान्त विभागीय बजट से की जायेगी। यह प्रतिपूर्ति केवल राज्य के विद्युत वितरण कंपनियों या विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों से विद्युत खरीद पर ही की जायेगी।

7.7–स्टाम्प शुल्क

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाई हेतु क्रय की गयी भूमि अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर भुगतान की गयी स्टाम्प शुल्क की धनराशि की प्रतिपूर्ति स्टाम्प विभाग द्वारा अनुमन्य धनराशि का आंकलन उपलब्ध कराने के उपरान्त विभागीय बजट से की जायेगी।

8– उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत प्रस्तावों की पात्रता के निर्धारण में प्रथम आवक व प्रथम पावक के सिद्धान्त को उक्त नीति के प्रस्तर–03 में उल्लिखित क्षेत्रवार/श्रेणीवार ध्यान में रखा जायेगा, जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित किया जाय। 'पहली' परियोजनाएं वे होंगी जिन्हें नीति और तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अनुसार अनुदान/प्रोत्साहनों की मंजूरी के लिए अनुमोदित किया गया है। प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान इकाई का वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के बाद किया जाएगा।

9–डेडीकेटेड पोर्टल एवं डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर

(i) उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के क्रियान्वयन हेतु टेक्निकल सपोर्ट एवं डेटा एनालिटिक्स आधारित क्रियाकलाप के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना शासन से प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त मुख्यालय स्तर पर दुग्ध आयुक्त कार्यालय में की जायेगी। डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर विषय विशेषज्ञों, डोमेन एक्सपर्ट्स के सहयोग से संचालित किया जायेगा तथा जिला एवं राज्य स्तर पर उद्योगबन्धु/निवेश मित्र आदि सुसंगत पोर्टलों से इन्टीग्रेटेड रहेगा। इस सेन्टर द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये आवेदन पत्रों की पत्रावली तैयार कर, उनका परीक्षण एवं मूल्यांकन करते हुये प्रस्ताव पर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित दुग्ध आयुक्त की अध्यक्षता में गठित प्री–अप्रेजल समिति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(ii) उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु डेडीकेटेड पोर्टल एवं डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना दुग्ध आयुक्त कार्यालय में की जायेगी। इस सेन्टर में उद्यमियों को आवश्यकतानुसार टेक्निकल सपोर्ट के लिए विषय विशेषज्ञ तथा डोमेन एक्सपर्ट इत्यादि उपलब्ध होंगे।

10–आवेदन तथा आवेदन पत्र की प्राप्ति

इस नीति के अन्तर्गत समस्त आवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में किये जायेंगे। आवेदक द्वारा पोर्टल पर किये गये आवेदनों का डेटाबेस मैनेजमेन्ट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर द्वारा प्रारम्भिक परीक्षण कर तत्काल आवेदक को वांछित सूचनाएं यदि आवश्यक हो, तो निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराने/पोर्टल पर अपलोड करने हेतु संसूचित किया जाएगा। पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के परीक्षण, मूल्यांकन, स्वीकृति एवं पूँजीगत अनुदान/ब्याज उपादन/विभिन्न रियायतों की स्वीकृति की समयसीमा का निर्धारण एक्टिविटी फ्लो चार्ट (अनुलग्नक–3) में उल्लिखित है।

11–नीति के अन्तर्गत विस्तारित/तकनीकी उन्नयन से सम्बन्धित आवेदन किये जाने पर संस्थान/प्लांट का पूर्वगामी/विद्यमान स्थिति का भौतिक/स्थलीय सत्यापन

दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में) से सम्बन्धित पूँजीगत अनुदान प्राप्त करने के लिए तथा दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में), पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाईयों के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में) एवं दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन से सम्बन्धित ब्याज उपादान हेतु आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त विभागीय निरीक्षण दल (डी0आई0टी0) द्वारा विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन किया जायेगा। अतः विभागीय निरीक्षण दल द्वारा विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन कराये बिना आवेदक/संस्था द्वारा विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ कर देने के पश्चात किये गये आवेदन विचारणीय नहीं होंगे।

विस्तारीकरण/तकनीकी उन्नयन के प्रकरण में पूर्वगामी/विद्यमान स्थिति का भौतिक/स्थलीय सत्यापन कराये जाने हेतु विभागीय निरीक्षण दल (डी0आई0टी0) के निम्नवत अध्यक्ष/सदस्य होंगेः–

1– सम्बन्धित मण्डल के दुग्धशाला विकास अधिकारी – अध्यक्ष

2– सम्बन्धित जनपद के उप दुग्धशाला विकास अधिकारी – सदस्य
3– सम्बन्धित आवेदक/संस्था के प्रतिनिधि – सदस्य

12–पूॅजीगत अनुदान हेतु आवेदन

(i) नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला की स्थापना से सम्बन्धित इकाईयॉ, पूॅजीगत अनुदान हेतु आवेदन पोर्टल पर यथासंभव व्यवसायिक उत्पादन शुरू किये जाने से दो माह पूर्व करेंगें। पूॅजीगत अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर–ए) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक–1 में उल्लिखित है।

(ii) दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में) से सम्बन्धित इकाईयों को पूॅजीगत अनुदान के लिए अपना आवेदन विस्तारीकरण हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने तथा टर्म लोन स्वीकृत होने के उपरान्त (विनिर्माण इकाई की पूर्वगामी/विद्यमान स्थिति में) पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा। विस्तारीकरण से सम्बन्धित इकाईयों द्वारा पूॅजीगत अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर–ए) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक–1 में उल्लिखित है।

विस्तारीकरण से सम्बन्धित इकाईयों की विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन प्रस्तर–11 में प्राविधानित विभागीय निरीक्षण दल (डी0आई0टी0) द्वारा किया जायेगा। अतः विभागीय निरीक्षण दल द्वारा विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन कराये बिना विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ कर देने के पश्चात किये गये आवेदन विचारणीय नहीं होंगे।

12.1 ब्याज उपादान हेतु आवेदन

(i) नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई की स्थापना, नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की स्थापना, दुग्धशाला के बाहर फील्ड में नवीन टेक्नोलॉजी की स्थापना, कोल्ड चेन की स्थापना तथा मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद बनाने वाली इकाईयों को ब्याज उपादान हेतु आवेदन पोर्टल पर यथासम्भव व्यवसायिक उत्पादन शुरू किये जाने से दो माह पूर्व किये जायेंगे। ब्याज उपादान प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर–बी) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक–1 में उल्लिखित है।

(ii) दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में), पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में) तथा दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन से सम्बन्धित ब्याज उपादान प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित इकाईयों द्वारा आवेदन विस्तारीकरण हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने तथा टर्म लोन स्वीकृत होने के उपरान्त (विनिर्माण इकाई की पूर्वगामी/विद्यमान स्थिति में) पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा। विस्तारीकरण से सम्बन्धित इकाईयों द्वारा ब्याज उपादन प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर–बी) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक–1 में उल्लिखित है।

दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों के विस्तारीकरण, पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की विस्तारीकरण तथा दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन की स्थापना से पूर्व सम्बन्धित इकाईयों की विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन किया जायेगा। अतः विभागीय निरीक्षण दल द्वारा विद्यमान क्षमता/स्थिति का सत्यापन कराये बिना विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ कर देने के पश्चात किये गये आवेदन विचारणीय नहीं होंगे।

(iii) कोल्ड चेन की स्थापना हेतु ब्याज उपादान प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर–बी/एनेक्जर–बीबी) (जो लागू हो) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक–1/अनुलग्नक–2 में उल्लिखित है।

12.2 प्रोत्साहन प्राविधान हेतु आवेदन

मानकीकरण प्रोत्साहन, पेटेंट/डिजाइन पंजीकरण, बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन, विद्युत शुल्क (ड्यूटी), स्टाम्प शुल्क तथा मानव संसाधन विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षण कराये जाने सम्बन्धी आवेदन इकाई के व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। बाजार

विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन के अन्तर्गत उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक इकाई को केवल एक देश में एक नमूना (सैंपल) प्रेषित करने तक अनुदान उपलब्ध होगा। प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर–एए एवं एनेक्जर–एबी) पर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित किये जायेंगे, जिसका विवरण अनुलग्नक–2 में उल्लिखित है।

13–नीति के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत एवं अवमुक्त किये जाने से पूर्व संस्थान का भौतिक/स्थलीय सत्यापन

सक्षम प्राधिकारी के स्तर से अनुदान/वित्तीय सहायता का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होने, समस्त वांछित अभिलेख प्राप्त होने तथा संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) का भौतिक/स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान एवं वित्तीय सहायता अवमुक्त करने की नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

संयुक्त निरीक्षण दल में निम्नवत् अध्यक्ष/सदस्य होंगेः–

1–सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिनिधि (अपर जिलाधिकारी से अनिम्न हो)	–	अध्यक्ष
2–सम्बन्धित मण्डलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी	–	सदस्य
3–सम्बन्धित ऋण प्रदाता बैंक के प्रबन्धक	–	सदस्य

प्रोत्साहन का भुगतान इकाई का वाणिज्यिक परिचालन/उत्पादन प्रारम्भ होने के बाद किया जायेगा। अनुदान की धनराशि अप्रेजिंग बैंक को अवमुक्त की जायेगी, जिसे बैंक द्वारा उद्यमी/ऋण प्राप्तकर्ता के टर्मलोन खाते में जमा किया जायेगा।

परन्तु सम्बन्धित उद्यमी द्वारा यदि व्यवसायिक उत्पादन को प्रारम्भ करने की तिथि से तीन वर्षों के अन्दर इकाई को बन्द कर दी जाती है, किराये पर दे दी जाती है अथवा लीज पर दे दी जाती है, ऐसी स्थिति में पूँजीगत अनुदान, ब्याज उपादान एवं अन्य रियायतों में अवमुक्त की गयी धनराशि ब्याज सहित नोडल विभाग (दुग्ध विकास विभाग) को वापस करनी होगी।

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु डेडीकेटेड पोर्टल एवं डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना दुग्ध आयुक्त कार्यालय में की जायेगी। इस सेन्टर में उद्यमियों को आवश्यकतानुसार टेक्निकल सपोर्ट के लिए विषय विशेषज्ञ तथा डोमेन एक्सपर्ट इत्यादि उपलब्ध होंगें।

14–उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों का अनुदान एवं_वित्तीय प्रोत्साहन हेतु मूल्यांकन एवं परीक्षण का कार्य

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत पूँजीगत अनुदान, ब्याज उपादान, बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन, मानकीकरण प्रोत्साहन, पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण प्रोत्साहन, विद्युत अधिभार तथा स्टाम्प शुल्क से सम्बन्धित पोर्टल पर प्राप्त आवेदन का डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर द्वारा मूल्यांकन एवं परीक्षण करते हुये मुख्यालय (दुग्ध आयुक्त कार्यालय) स्तर पर गठित प्री–अप्रेजल समिति को प्रस्तुत किया जायेगा।

15–दुग्ध नीति का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

15.1–राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के अंतर्गत प्राविधानों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति गठित की जायेगी, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाय। सुसंगत विभागों के प्रभारी सचिव इसके सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त सहकारिता से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधि, उद्योगों के प्रतिनिधि एवं तकनीकी विशेषज्ञ भी इस समिति के सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन इसके सदस्य–सचिव होंगे।

15.2–प्रशासकीय विभाग स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु अप्रेजल समिति

इस नीति के अन्तर्गत शासन स्तर पर प्री–अप्रेजल समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु प्रभारी सचिव, दुग्ध विकास विभाग की अध्यक्षता में अप्रेजल समिति गठित होगी, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाय। सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण, तकनीकी विशेषज्ञ, वित्त–विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे एवं दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 समिति के सदस्य–सचिव होंगे।

15.3–मुख्यालय स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु प्री–अप्रेजल समिति

इस नीति के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को मुख्यालय स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 की अध्यक्षता में प्री–अप्रेजल समिति गठित होगी, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाय। इसमें दुग्धशाला विकास विभाग के अन्य अधिकारीगण, वित्त नियन्त्रक एवं तकनीकी विशेषज्ञ सदस्य तथा मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी/दुग्धशाला विकास अधिकारी (दुग्ध नीति) सदस्य–सचिव होंगे।

15.4–जनपद स्तर पर परियोजना का कियान्वयन एवं अनुश्रवण

इस नीति के अंतर्गत किये जा रहे कियाकलापों का अनुश्रवण जिलाधिकारी द्वारा उद्योगबंधु के माध्यम से किया जायेगा। इस कार्य हेतु उद्योगबंधु की समिति में उप दुग्धशाला विकास अधिकारी भी सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे।

16–नोडल विभाग

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के कियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए दुग्ध विकास विभाग,नोडल विभाग होगा।

17–दुग्ध नीति का व्यापक प्रचार–प्रसार

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर नवीन नीति के प्रचार–प्रसार हेतु नोडल संस्था द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगेः–

(i) उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत आच्छादित विभिन्न प्रोत्साहनों का व्यापक प्रचार–प्रसार।

(ii) प्रदेश में उद्योगों हेतु विद्यमान आकर्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया व सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग।

(iii) नीति के प्रचार–प्रसार हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, रोड शो तथा अन्य इवेन्ट्स का आयोजन।

18– उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के लागू होने की तिथि तक वे इकाईयां,जिन्हें उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति–2018 के अन्तर्गत विभिन्न अनुदान/रियायतें स्वीकृत की जा चुकी हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति–2018 के प्राविधानों के अनुसार अवशेष लाभ अनुमन्य होगा।

19–विविध

19.1 उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के उपर्युक्त दिशा–निर्देशों व अनुलग्नक में किसी बिन्दु पर तार्किक कठिनाई होने पर उसका समाधान करने हेतु प्रशासकीय विभाग/दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन सक्षम होगा।

19.2 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय

Signed by डा0 रजनीश दुबे
(डा0 रजनीश दुबे)
Date: 20-02-2023 13:29:58
अपर मुख्य सचिव।
Reason: Approved

संख्या–104(1)/53–1–2023,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2– सचिव,पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली, भारत सरकार।
3– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5– विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7– स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
8– सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
9– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10– प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29 पार्क रोड, लखनऊ।
11– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12– वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
13– मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
14– वित (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–1/2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1।
15– वेब मास्टर,दुग्धशाला विकास विभाग,जवाहर भवन,लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
16– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/–
(पंकज कुमार सिंह)
अनु सचिव।